

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
62/18	53, 188 A+B	वारड	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
लीलाबाई	बनाम	कजोड	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ


5/18	<p>वकील वा.पी. द्वारा एक.स.अ.अंतर्गत धारा... 53, 188 A+B विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सरिरता का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर कर जर्ज सम्मन... को पेश हो। तलब कर प्रकरण दिनांक 8/8/18 को पेश हो।</p>	
8.8/18	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 30.11.2019 को पेश हो।</p> <p>रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
30/19	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25.12.19 को पेश हो।</p> <p>रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
25/19	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26.12.19 को पेश हो।</p> <p>रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
26/19	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 16/12/19 को पेश हो।</p> <p>रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक


7.8.24

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 2.9.24 को पेश हो।


रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

2.9.24

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 25.9.24 को पेश हो।


रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

25.9.24

पत्रावली पेश हुई वकील काही उपर लक्ष्य काही उपर नही से लाम्प जाटने से डब में कर अवर डिप्टी का लुके से उकरन नई 2019 के लक्ष्य काही के विचारधीन से लक्ष्य काही से लाम्प जाटने न्यायाधीन से एक आदेश अवर डिप्टी काही कापडा कोर मौक नही दिया कोपण लक्ष्य काही बल कए ही कोडनी। पत्रावली काही लक्ष्य काही दिनांक 15.10.24 को पेश हो

15.10.24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। न्यायालय ने रक-रक कर तीन बार आवाज लगावाई गई। न्यायालय विस्थापित होने तक इंतजार किया गया। वकील प्रार्थी एवं अन्य प्रार्थीगण कोई न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। प्रत्यक्ष आदर हाजरी आदर पंजी ने खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल अंगर होकर बाड वाफिल तबदील के राखिल दफ्तर हो।